न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर

रिमाण्ड प्रकरण सं0 10/2016

(1) कैलाशचंद पुत्र भागचंद

(2) श्याम सुन्दर पुत्र भागचंद

(3) संदीप पुत्र भागचंद

समस्त जाति महाजन निवासी बडगांव (गुजराज क्वार्टर, नसीराबाद रोड) तहसील व जिला, अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

(1) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।

(2) मन्दिर श्री महादेव जी महाराज (जिनके नाम उक्त भूमि जरिये नामा0 सं0 216 दर्ज की गई)

(3) देवस्थान विभाग, उदयपुर (राज0) जरिये आयुक्त महोदय।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.09.20009 द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अजमेर
अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः–

1. श्री मौहम्मद इकबाल अभिभाषक (अपीलान्ट)
2. श्री .....अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय

दिनांकः–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

आज ग्राम बडगांव के नामान्तरकरण संख्या 216 दिनांक 01.09.2007 की स्वीकृति के लिये पत्रादि प्रस्तुत हुए। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खानपुरा तहसील, अजमेर ने दिनांक 03.08.2007 को देव स्थान विभाग के पत्रांक प.12(22)देव/91 जयपुर दिनांक 06.03.2003, श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के पत्रांक 2278–96 दिनांक 19.03.2003, 9544–97 दिनांक 06.08.2007, 1673–82 दिनांक 20.03.2003 एवं

तहसीलदार
एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
अजमेर

6148–227 दिनांक 08.08.2007 आदि के सन्दर्भ से ग्राम बडगांव के खसरा नं0 331 रकबा 01–09–10 किस्म चाही–1, ख0न0 333 रकबा 01–00–10 किस्म चाही–1+, 335 रकबा 00–08–10 किस्म चाही–1 को श्री कैलाश चंद मुरकिया, श्याम सुन्दर मुरकिया, संदीप मुरकिया पि0 भागचंद मुरकिया माहेश्वरी निवासी गुलराज क्वार्टर, नसीराबाद रोड, अजमेर व गुमानी देवी पत्नी रामसिंह जाति रावत सा0 देह खातेदारान के बजाय मन्दिर श्री महादेव जी खातेदार के नाम दर्ज कराने हेतु नामान्तरकरण संख्या 216 भरकर पेश किया जिसको भू.अ.नि. की जांच उपरान्त तत्कालीन तहसीलदार (भू0अ0), अजमेर ने कलेक्ट्रेट आदेश एवं राज्य सरकार के आदेश दिनांक 06.03.2003 की अनुपालना में दिनांक 01.09.2007 को स्वीकृत कर दिया।

खातेदार कैलाश वगैरह द्वारा उक्त आदेश से आहत होकर माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर में ग्राम बडगांव के उक्त नामान्तरकरण संख्या 216 में दिनांक 01.09.2007 को किये गये निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें पक्षकारान की विधिवत् सुनवाई करने के पश्चात् माननीय न्यायालय, जिला कलेक्टर, अजमेर ने दिनांक 09.09.2009 को निर्णय पारित कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 216 में दिनांक 01.09.2007 के आदेश को यथावत् रखा। इससे रूष्ठ होकर अपीलान्ट ने एक अपील माननीय न्यायालय श्रीमान् संभागीय आयुक्त, अजमेर के यहां अपील संख्या 151/2009 उनवान कैलाशचंद वगैरह बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.09.2016 के द्वारा अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर निर्णय पारित कर न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 09.09.2009 तथा तहसीलदार, अजमेर के अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 216 दिनांक 01.09.2007 को निरस्त करते हुए प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार, अजमेर को प्रतिप्रेषित किया कि दोनों पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य का पूर्ण अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित किया जावे।

उक्त आदेश की पालना में पुनः हितबद्ध पक्षकारों को पृथक–पृथक सूचना भेजकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया एवं पटवारी हल्का से प्रकरण में वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का ने अपनी बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 06.10.2020 को प्रस्तुत की, जिसके अनुसार–मुताबिक वर्किंग जमाबंदी के खाता सं0 69 में दर्ज खसरा नं0 333 व 335 खातेदारान भंवरलाल पुत्र नन्दलाल महाजन के बजाय जरिये नामा. सं. 139 में भंवरलाल के बजाय केती गुमानी देवी के नाम दर्ज हुआ तत्पश्चात् जरिये नामा0 सं0 216 दिनांक 01.09.2007 से मन्दिर श्रीमहादेवजी खातेदार के

तहसीलदार
एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
अजमेर

नाम दर्ज हुआ। इसी अनुरूप वर्किंग ख0न0 331 खातेदार ज्ञानचन्द पुत्र नंदलाल महाजन द्वारा विक्रय किये जाने से नामा0 सं0 106 दिनांक 05.06.2003 से क्रेता कैलाश चंद, श्यामसुन्दर, संदीप पुत्रगण भागचंद जाति मुरकिया माहेश्वरी के नाम दर्ज हुआ। इसके पश्चात् नामा0 संख्या 216 दिनांक 01.09.2007 से मन्दिर श्रीमहादेवजी महाराज के नाम दर्ज हुआ। मुताबिक ग्राम बडगांव के मिलान क्षेत्रफल वर्किंग ख0न0 331 रकबा 01–09–10 का हाल ख0न0 506 रकबा 0.24 तथा वर्किंग ख0न0 333 रकबा 01–00–10 का हाल ख0न0 509मि0 रकबा 0.17 तथा वर्किंग ख0न0 335 रकबा 00–08–10 का हाल ख0न0 509मि0 रकबा 0.07 बने है। उक्त आराजी के मौके पर ख0न0 506 पर रूपी पत्नि सोहन तथा 509 के रकबे पर रामा पुत्र काना द्वारा काश्त की जा रही है। मुताबिक जानकारी उक्त आराजी पर काश्त कर रहे काश्तकारान को ठेका प्रणाली के तहत श्री कैलाश चंद पुत्र भागचंद को राशि दी जाती है। जबकि रामा पुत्र काना द्वारा कोई राशि नहीं दी जाती है। उक्त आराजी ख0न0 506 व 509 के मौके पर कोई मन्दिर स्थित नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में भी किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन का अंकन दर्ज नहीं है।

दौराने बहस अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य तर्क दिया कि विवादग्रस्त आराजीयात के रेकॉर्डेड खातेदार भवंरलाल, मदनलाल व ज्ञानचन्द पुत्रान नन्दलाल कौम महाजन थे। इनके मध्य श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय अजमेर द्वारा पारित बंटवारा डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 14 दिनांक 30.01.1996 को पृथक–पृथक आराजीयात अंकित की गई। उक्त बंटवारे के अनुसार विवादग्रस्त भूमि ख0न0 331 रकबा 01–09–10 बीघा ज्ञानचन्द पुत्र नन्दलाल महाजन के हिस्से में आई जिनके द्वारा उक्त भूमि अपीलान्ट को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र सौंप दिया गया एवं अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण संख्या 106 दिनांक 05.06.2003 स्वीकृत किया गया। तब से अपीलान्टस ही उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजीयात पूर्व विक्रेता के नाम दर्ज थी जो संलग्न मिसल बन्दोबस्त/जमाबंदी सन् फसरी 1349 तथा खतौनी बन्दोबस्त माफी भोम ग्राम बडगांव संवत् 2015 एवं अन्तिम चौसला जमाबंदी संवत् 2000–23 से सिद्ध है। उक्त आराजीयात कभी भी मन्दिर श्री महादेव के नाम रेकॉर्ड में दर्ज नहीं रही ना ही कभी मन्दिर मूर्ति श्री महादेव जी का उक्त भूमि पर कभी कब्जा व काश्त ही रहा है।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार मौके पर कोई मन्दिर अवस्थित नहीं है। अतः प्रस्तुत अभिलेख की पृविष्टियों, राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 एवं काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों, न्यायिक निर्णयों के दृष्टान्तों, राज्य

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 एवं इसकी पालना में राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.01.2010 के दृष्टिगत नामान्तरकरण संख्या 216 दिनांक 01.09.2007 स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाकर ख0न0 331, 333 व 335 के सम्बन्ध में उक्त नामान्तरकरण से पूर्व की स्थित को यथावत बहाल किया जाता है। भू.अ.नि./पटवारी हल्का को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजकर नामान्तरकरण की परत पटवार की पुष्ट पर चस्पा करने के निर्देश दिये जाये। आदेश अमल दरामद किया जावे।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 25/06/21 को सुनाया गया।

(प्रीति चौहान) एवं
तहसीलदार एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
अजमेर